कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र ,मीरजापुर

पत्रांकःसा0–4073/ मी0क्षे0 / 33 / दिनांक,मीरजापुर, फरवरी 27, 2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग,
मीरजापुर।

विषयः– उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिसन कारपोरेशन लि0 वाराणसी द्वारा 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मीरजापुर वन प्रभाग की 37.51 हे0 (विभिन्न प्रभागों की कुल 319.28 हे0) वन भूमि की 20 वर्षो हेतु लीज पर दिये जाने की स्वीकृति उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद को प्रदान की गयी थी जिसकी लीज अवधि दिनांक 22.02.2014 को समाप्त होने के उपरान्त उक्त पारेषण लाइन के नवीनीकरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 3228 / मी0 / 15,दिनांक 17.02.2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रस्ताव चार प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है । प्रेषित प्रस्ताव की परीक्षणोपरान्त निम्न कमियॉ / अभिलेखों का अभाव पाया गया ।

1– प्रस्ताव की ऑन लाइन पार्ट–2 में कमांक 2 पर ओबरा वन प्रभाग का क्षेत्रफल कमशः 11.7 हे0 एवं 101.348 हे0 प्रस्तावित किया गया है तथा सोनभद्र वन प्रभाग एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग के प्रस्तावित क्षेत्रफल उल्लेख नहीं किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है।

2– प्रस्ताव की ऑन लाइन पार्ट–1 में परियोजना की लागत 4314.62 लाख अंकित किया गया है जबकि पार्ट–1 हार्ड कापी में रिक्त है।

3– प्रस्ताव की ऑन लाइन पार्ट–2 एवं हार्ड कापी पार्ट–2 में हरियाली घनत्व शून्य अंकित किया गया है जबकि लागत लाभ विश्लेषण में हरियाली घनत्व 04 उल्लेख किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान उचित हरियाली घनत्व अंकित करते हुए सशोधित पार्ट–2 संलग्न करें तथा तद्नुसार एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव में संलग्न की जाय।

4– प्रस्ताव प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत वन भूमि पर 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षों का प्राक्कलन संलग्न नहीं किया गया है।

5– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित जियोरिफरेन्स्ड डिजिटल मैप तथा के0एम0एल0 फाइल सी0डी0 सहित संलग्न की जाय।

6– ऑन लाइन भाग–2 में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित टोपोसीट अपलोड की जाय।

7– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की उपयुक्तता प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में संलग्न किया जाय।

अतः उपरोक्त बिन्दु की कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव मूल में संलग्न है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग
पत्रांक – 3454 /मीरजापुर/15 दिनांक – 03-3-2020

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता विद्युत प्रेषण खण्ड – द्वितीय वाराणसी 220 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र तलवल हाईडिल कालोनी गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित कि विषयक प्रकरण में बिन्दु सं० 2, 5, एवं 6 द्वारा उठाई गयी आपत्तियों का निवारण कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि – क्षेत्रीय वन अधिकारी चुनार को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि –

1. 75.02 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन (10 वर्षों के अनुरक्षण सहित)
2. 37.51 हे० बौने / आंवला पौधों के रोपण हेतु प्राक्कलन (10 वर्षों के अनुरक्षण सहित)
3. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित 75.02 हे अवनत वन भूमि का सर्कुलर GPS पालीगान, सत्यापित जियो रिफरेन्सड डिजिटल मैप एवं KML फाइल मय सी.डी.।
4. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित 75.02 हे० अवनत भूमि को 1:50 के मैप पर चिन्हांकित करते हुये सत्यापित होकर और उपलब्ध करायें।
5. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र जिसमें प्रस्तावित भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त निर्विवाद तथा अतिक्रमण से मुक्त हो का उल्लेख किया गया हो प्रस्तुत करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर – वन प्रभाग
मीरजापुर